26/2/26

पत्रावली पेश हुई। डिक्री प्रा.पत्र आदेश 22 नियम 2,3 व 151 CPC हेतु पेश हुई। उपरोक्त उक्त प्रा.पत्र आदेश 22 नियम 2,3 व धारा 151 CPC (दिनांक 09.10.2025) निरस्त किया जाता है तथा उक्त अपील स्वतः उपशमित मानते हुए अपील को निरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। विधिवत डिक्री बनाई जाकर पत्रावली बाद शामिल किया जाकर कंप्यूटर से दर्ज हो।

आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.26 13:16:52 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
(राज.)

GCMS 2014/00137

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 242/2014 GCMS: 2014/00137 दायरा दिनांक : 09/12/2014

अनवान् : वीर सिंह व अन्य ब ना म विधा बाई व अन्य

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश-22 नियम-2, 3 एवं धारा-151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

निर्णय

दिनांक : 26.02.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश–22 नियम–2, 3 एवं धारा–151 सी.पी.सी. दिनांक 09.10.2015 हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री वीर सिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम बिशनपुरा तहसील रायसिंहनगर के द्वारा अपना प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान की अपील सरपंच, ग्राम पंचायत निरवाना द्वारा दिनांक 05.12.2014 को स्वीकृत इन्तकाल संख्या 239 चक 9 एन. आर.डी.–बी पत्थर नं. 112/318 की 25–00 बीघा रेस्पोडेंट सं. 1 ता 4 के नाम दर्ज करने के विरूद्ध पेश की हुई है। अपीलांट सं. 1 वीर सिंह पुत्र भजन सिंह जाति रायसिंह निवासी किशनपुरा तहसील रायसिंहनगर का देहान्त दिनांक 28.06.2025 को हो चुका है जिसके जायज वारिस (1) जीत कौर – पत्नि, (2) प्रार्थी – पुत्र, (3) महेन्द्र कौर – पुत्री व (4) छिन्दो बाई – पुत्री कुल 4 वारिस हैं। पत्रावली में बहस हो गई थी लेकिन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का तबादला हो गया और निर्णय पारित नहीं हो सका। इसी दौरान अपीलार्थी सं. 1 का देहान्त हो गया। प्रार्थी के द्वारा दिनांक 15.09.2025 को वकील साहब से सम्पर्क करने पर बताया कि वीर सिंह का देहान्त हो चुका है। मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रति और वारिसान की सूची व वकालतनामा दिया। प्रार्थी एक सद्भाविक कृषक है, कानूनी पेचिदगियों को नहीं जानता इसलिये प्रार्थना–पत्र समय रहते पेश नहीं कर सका। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर मृतक अपीलांट सं. 1 के वारिसान को कायम मुकाम बनाया जावे।

वकील अप्रार्थी/रेस्पोडेंट सरजीत कौर के द्वारा अपना जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा मृतक अपीलांट सं. 1 के वारिसों को दस्तावेजी सासक्ष्य द्वारा किसी भी प्रकार से साबित नहीं किया गया है। पत्रावली में अपीलार्थी सं. 1 के देहान्त की सूचना वकील साहब को दिनांक 15.09.2025 को दी जाना अंकित किया गया है। इसके बावजूद प्रार्थी के द्वारा 90 दिवस के पश्चात दिनांक 09.10.2025 को मृत्यु की दिनांक से माननीय न्यायालय के समक्ष अपना प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है, जो कि मियाद बाहर है। प्रार्थी के द्वारा विलम्ब को क्षमा करवाने के लिये प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम का मय शपथ–पत्र के पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी के द्वारा जानबूझकर विलम्ब से अपना प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो कि नियमानुसार निरस्त किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि हमारे द्वारा अपना प्रार्थना–पत्र कानूनी जानकारी ना होने के कारण पेश नहीं किया जा सका। यह प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.09.2025 को वकील साहब को बताने पर पेश किया गया है। इस प्रकरण में मृतक के स्थान पर वारिसान को कायम मुकाम बनाया जाना आवश्यक है। इसलिये हमारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे। वकील अप्रार्थी रेस्पोडेंट ने अपनी बहस से अपनी जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी को अपने पिता द्वारा प्रस्तुत अपील की जानकारी उन्हें पूर्व से थी, यह आज प्रार्थना–पत्र में स्वीकार कर रहे हैं। इनके द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण–पत्र से दिनांक 28.06.2025 को अपीलार्थी सं. 1 की मृत्यु होना साबित है। मृत्यु की दिनांक से 21.09.2025 तक 90 दिवस होते है। इनके द्वारा इससे पूर्व दिनांक 15.09.2025 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की तैयार कर ली लेकिन प्रार्थना–पत्र जानबूझकर दिनांक 09.10.2025 को प्रस्तुत किया गया है। मृतक के वारिसान के सम्बन्ध में बिना दस्तावेजी साक्ष्य के इस प्रार्थना–पत्र को जानबूझकर विलम्ब से बिना संतुष्टिपूर्ण कारण अंकित किये, बिना धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र के प्रस्तुत किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.26 13:16:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार 2 पर

गया है। यह सम्पूर्ण अपील स्वतः उपशमित हो चुकी है। इनके द्वारा उपशमन निरस्ती बाबत अपने प्रार्थना–पत्र में कतई निवेदन नहीं किया गया है और ना ही अलग से कोई प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निरस्त करते हुये सम्पूर्ण अपील उपशमित होने से निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित किये जावें। इनके द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्याय निर्णय RBJ–2001 Page-415, RBJ–2004 P. No. 349, RBJ–2012 P.No. 540 H.C. RBJ–2002 P.No. 627, RBJ–2010 P. No. 628 पेश किये गये।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने के पश्चात् इसे ध्यान में रखते हुये प्रस्तुत न्याय निर्णयों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपने पिता अपीलार्थी सं. 1 की मृत्यु दिनांक 28.06.2025 को होना अंकित किया गया है जो कि उनके द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण–पत्र की चित्रप्रति से साबित है। अपीलार्थी के प्रार्थी और उनकी माता व बहने की वारिस है। इसके सम्बंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या वारिस होने का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे माना जा सके कि यही मृतक के वारिस है। इस सम्बंध में आपत्ति रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी के द्वारा भी की गई है। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अपील की जानकारी पूर्व में प्रार्थी और उसकी माता व बहनों को ना होना कतई अंकित नहीं किया गया है बल्कि इनके स्वंय के द्वारा अंकित किया है कि अपील में नियुक्त वकील साहब को अपने पिता के दिनांक 28.06.2025 को फौत होने की जानकारी, वकालतनामा वारिसान की सूची दिनांक 15.09.2025 को दी थी। इसके बावजूद प्रार्थी के द्वारा मृत्यु दिनांक 28.06.2025 से 90 दिवस में अपना प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश ना कर दिनांक 09.10.2025 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी को दिनांक 15.09.2025 से प्रार्थना पत्र दिनांक 27.09.2025 तक प्रार्थना पत्र पेश करने की जानकारी थी। इनके द्वारा कानून की जानकारी इसके बावजूद भी ना होना कतई नहीं माना जा सकता। इनके द्वारा जानबूझकर अपने प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पर पूर्व की दिनांक 15.09.2025 अंकित कर दिनांक 09.10.2025 को अपना प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इसमें अंकित कारण पर विश्वास किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो कि जानबूझकर विलम्ब से, बिना विलम्ब को क्षमा करवाने के प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र के प्रस्तुत किया गया है। उक्त अनवान की अपील संयुक्त कृषि भूमि के पारित आदेश के सम्बंध में की गई है। जो कि अपीलार्थी की मृत्यु के 90 दिवस में कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर स्वतः उपशमित हो चुकी है। जिसके उपशमन को निरस्त करवाने का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ना तो निवेदन किया है और ना ही अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर प्रकाशित RBJ 2001 P.No. 415 अनवान मोहनलाल बनाम श्रीमति लक्ष्मी व अन्य, RBJ 2004 P.No. 349 अनवान् गोकूलराम बनाम् भाकरराम व अन्य में :— order 22 R-3 CPC : When application for substitution of legal representative is not submitted with in 90 days from the death of the deceased case automatically abates और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय प्रकाशित RBJ–2002 P. No. 627 अनवान् बुधा बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य में Order-22 R-9 CPC : Abatement of appeal in joint appeal when one of the appellant died and his LR'S were not brought on record with in prescribed period. Appeal will abate का सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है। जो कि इस मामले में पूर्णतया लागू होते है। इसलिये प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा बिना स्वच्छ हाथो से, मियाद बाहर और अपील उपशमित होने के पश्चात बिना उपशमन निरस्ती के निवेदन के [illegible] किये जाने के कारण इसे नियमानुसार निरस्त किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने और उक्त अनवान की अपील स्वतः उपशमित मानते हुये अपील को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावें।

आज दिनांक 26.02.2026 को मेरे द्वारा यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.26 13:16:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)